सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 06/17 **निर्णय दिनांक–01.05.2018**

1. ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. श्रवणराम
2. श्योपतराम
3. इन्द्राज

पुत्रगण गौरूराम जाति सुथार निवासी जैतपुर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 27–09–2017
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः–

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 27–09–2017 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके ग्राम जैतपुर के खसरा नम्बर 841/2196 तादादी 30 बीघा भूमि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है तथा दिनांक 07—06—2012 अर्थात वादगत् भूमि को क्रय किये जाने की दिनांक से ही अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी धोषणा वाद अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 05—09—2017 को वादगत् भूमि को अपनी भूमि बताकर उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जबकि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई हित व सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आदि करवाया जाता है या मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो अपीलांट का अपूरणीय क्षति कारित होगी। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। अपीलांट द्वारा तमाम तथ्यों को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे तथा इस्तदुआ की गई थी कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित होने से वादगत् भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वे अपीलांट की खरीदशुदा भूमि पर किसी प्रकार का दखल न करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे अपीलांट/प्रार्थी के हितों की क्षति हो व वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो वादगत् भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना कोई विस्तृत विवेचन अंकित किया। केवल मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—10—2015 की प्रति प्रेषित करते हुए कथन किया न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश में माना है कि विवादित भूमि पर मौका कमिश्पर नियुक्त कर विवादित भूमि के कब्जे की मौका

रिपोर्ट लेकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को किसी भी निर्णय से पूर्व मौका रिपोर्ट प्राप्त किया जाना अपरिहार्य था। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना की गई है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपनी खरीदशुदा भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करावें व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आसे पासे व तमाम तथ्य मनगढ़त व बनावटी है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वादगत् भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 07—06—2012 को खरीदशुदा बताई गई है। उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें में अंकित अपनी जोत को आबादी से 2 किलोमीटर दूर व पक्की सड़क से आधा किलोमीटर दूर बताया गया है। जबकि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना में अपनी भूमि आबादी व सड़क के पास में बताया गया है। इस प्रकार अपीलांट/प्रार्थी द्वारा स्वमेव विरोधाभासी कथन अंकित किये गये है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रकरण में गलत आसा—पासा बताकर अप्रार्थीगण की आबादी की भूमि पर बने भूखण्डों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसका अपीलांट/प्रार्थी को कतई अधिकार नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् दिनांक 12—02—2013, 10—04—2013, 30—07—2013, व अन्य विभिन्न तिथियों को वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित होकर तैयार की गई है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत तमाम रिपोर्टो में कहीं भी अपीलांट/प्रार्थी का कब्जा नहीं बताया गया है। इसी प्रकार पुलिस एफ.आई.आर में भी कहीं पर अपीलांट/प्रार्थी का कब्जा नहीं बताया गया है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने व आबादी की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास किये जाने रहे है। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि खसरा

नम्बर 841/2196 के बाबत् नजरी नक्शा, फर्द मौका, सीमाज्ञान प्रार्थना पत्रों व उस पर अंकित पटवारी रिपोर्ट आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट व नजरी नक्शें व फर्द मौका के आधार पर अपीलांट/प्रार्थी का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरूणीय क्षति अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं मानते हुए अपीलांट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करते हुए आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही मौजा ग्राम कुजटी तहसील लूणकरनसर के खेत खसरा नम्बर 841/2196 तादादी 30 बीघा के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि वाके ग्राम जैतपुर के खसरा नम्बर 841/2196 तादादी 30 बीघा भूमि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है तथा अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी धोषणा वाद अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 05—09—2017 को वादगत् भूमि को अपनी भूमि बताकर उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जबकि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई हित व सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आदि करवाया जाता है या मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो अपीलांट का अपूरणीय क्षति कारित होगी। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व

अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित होने से वादगत् भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वे अपीलांट की खरीदशुदा भूमि पर किसी प्रकार का दखल न करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे अपीलांट/प्रार्थी के हितों की क्षति हो व वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वादगत् भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 07—06—2012 को खरीदशुदा बताई गई है। उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें में अंकित अपनी जोत को आबादी से 2 किलोमीटर दूर व पक्की सड़क से आधा किलोमीटर दूर बताया गया है। जबकि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना में अपनी भूमि आबादी व सड़क के पास में बताया गया है। इस प्रकार अपीलांट/प्रार्थी द्वारा स्वमेव विरोधाभासी कथन अंकित किये गये है।

(4) अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में संबंधित पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा वादगत् के बाबत् मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा, फर्द मौका व सीमाज्ञान के प्रार्थना पत्रों व उस पर अंकित पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त साबित नहीं है। प्रकरण में अपीलांट/प्रार्थी की भूमि आबादी से दो किलोमीटर व सड़क से आधा किलोमीटर की दूरी पर होना साबित है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तथ्य प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं पाई जाती है।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वमेव वादगत् भूमि का मौका निरिक्षण किया गया तथा पाया गया कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त साबित नहीं है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशो की

पूर्णतया पालना किया जाना साबित है। अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना किया जाना साबित नहीं होता है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर का आदेश दिनांक 27—09—2017 बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर